

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या:-

56/2020

निर्णय दिनांक:-

08 .01.2021

उनवान

कन्हैयालाल पुत्र लोडक्या जाति मीना निवासी मण्डावरा तहसील उनियारा जिला टोक
-प्रार्थी

बनाम

1.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

2.हनुमान पुत्र लोडक्या जाति मीना निवासी मण्डावरा तहसील उनियारा जिला टोक

- प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:-

1. श्री हरिराज सिंह वकील प्रार्थी
- 2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-

यह कि प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण नं0 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 47 ख0न0 13 रकबा 1.95 है0 , ख0न0 628 रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.08 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील उनियारा जिला टोक में स्थित है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम कन्हैयालाल पुत्र लोडक्या है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात इत्यादि में अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से खाना पुत्र लोडक्या अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम कन्हैयालाल पुत्र लोडक्या है।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पुत्र लोडक्या के स्थान पर सहवन से खाना पुत्र लोडक्या दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 47 ख0न0 13 रकबा 1.95 है0 , ख0न0 628 रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.08 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील उनियारा जिला टोक में प्रार्थी का नाम खाना पुत्र लोडक्या के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र लोडक्या अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम मण्डावरा के खाता संख्या 47 ख0न0 13 रकबा 1.95




उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

है0 , ख0न0 628 रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.08 है0 वाके ग्राम मण्डावरा दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जाँच से खाना पुत्र लोडक्या व कन्हैयालाल पुत्र लोडक्या एक ही व्यक्ति है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 खाता संख्या 47 ख0न0 13 रकबा 1.95 है0 , ख0न0 628 रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.08 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील उनियारा में प्रार्थी खाना पुत्र लोडक्या खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पुत्र लोडक्या दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम मण्डावरा के 47 ख0न0 13 रकबा 1.95 है0 , ख0न0 628 रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.08 है0 में खाना पुत्र लोडक्या के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र लोडक्या किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त खाता संख्या 47 ख0न0 13 रकबा 1.95 है0 , ख0न0 628 रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.08 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील उनियारा जिला टोंक में खाना पुत्र लोडक्या के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र लोडक्या दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुश्री रंजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा